

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक-:प.1(1)कार्मिक/2022/1841

दिनांक :- 17/11/22

कार्यालय आदेश

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/नियम/2019 पार्ट-I दिनांक 11 मार्च 2020 में निर्धारित नियमों के अनुरूप मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	चिकित्सालय का नाम एवं पता	विशेषता	मण्डल कार्मिकों को देय छूट
1	डॉ. अमित शर्मा सुपर स्पेशलिटी डेन्टल हॉस्पिटल दंत एवं मुख रोग निदान केन्द्र, डी-799, कम्यूनिटी सेन्टर, सैक्टर-5 के पास, मालवीय नगर, जयपुर	दंत चिकित्सा एवं मुख रोग	20%
2	सत्यम डेन्टल क्लीनिक एण्ड इम्प्लांट सेन्टर, 6/30, गोपाल मार्ग, एसएफएस, मानसरोवर, जयपुर	दंत चिकित्सा एवं प्रत्यारोपण	25%
3	बोन एण्ड जॉईंट हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, 3, श्याम नगर, राधाकृष्ण मन्दिर के पास, पाल लिंक रोड, जोधपुर	हड्डी रोग	20% OPD & 15% IPD
4	जयपुर स्माईल्स डेन्टल क्लीनिक एण्ड ऑर्थोडोन्टिक सेन्टर, 4-जे-8, मोनिलेक हॉस्पिटल के पास, जवाहर नगर, जयपुर	दंत चिकित्सा	20%
5	गीतांजली मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, हिरणमगरी विस्तार, एकलिंगपुरा चौराहे के पास, एनएच-8, उदयपुर	जनरल हॉस्पिटल	10%
6	मंगलम प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिप्रा पथ, सैक्टर-5, मानसरोवर, जयपुर	जनरल हॉस्पिटल	5-20%
7	सी. के. बिरला हॉस्पिटल, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर	जनरल हॉस्पिटल	10%
8	मारवाड़ हॉस्पिटल, ONGC कार्यालय के पास, मेन मण्डोर रोड, जोधपुर	जनरल हॉस्पिटल	20% OPD & 20% IPD (Excluding medicine and implant)
9	अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, जे-2/37, महावीर मार्ग, जय क्लब के सामने, सी-स्कीम, जयपुर	जनरल हॉस्पिटल	50% On Consultation, 20% on Investigation (OPD) & 10% on Surgery Package

उक्त आदेश संचालक मण्डल की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किए जाते हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(संचिता बिश्नोई)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-मु./I/II, रा.आ.मं, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.मं, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता.....रा.आ.मं.....।
4. निदेशक विधि/ मुख्य संपदा प्रबन्धक/ अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/उप सचिव/ विशेषाधिकारी (भूमि)/संपदा प्रबन्धक (मुख्यालय/भूमि), रा.आ.मं, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
6. प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ, जयपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... रा.आ.मं,.....।
8. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड-..... रा.आ.मं,.....।
9. उक्त तालिका अनुसार चिकित्सालय को भेजकर लेख है कि मण्डल द्वारा निर्धारित नीति नियमों के अनुरूप आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करावे।
10. नोटिस बोर्ड/निजी/रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक

Computer Cell